



संख्या - 11/2026/328/35-4-2026/35-4099/94/2024

प्रेषक,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग- 4

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

विषय – जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1220/त्व0आ0वि0/2025-26 दिनांक-27.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 रू0 220.13 लाख के सापेक्ष, नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शासनादेश सं0-13/2020/252/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पट्टी में राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए **अनुमोदित लागत रू0 1792.56 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय)** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-29/2021/585/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.88 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-163/2021/1519/35-4-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 875.54 लाख की धनराशि तथा, शासनादेश संख्या-182/2024/654/35-4-2024/35-4099/94/2024, दिनांक 14 मई, 2024 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 448.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार कुल रू0 1792.56 लाख की कुल स्वीकृत लागत **रू0 1792.56 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय)** के सापेक्ष धनराशि **रू0 1792.56 लाख** अवमुक्त हो चुकी है।

3- अतः आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि एवं गठित अनुबंध के फलस्वरूप हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए **स्वीकृत लागत रू0 1792.56 लाख** को लागत रू. 2003.35 लाख पर पुनरीक्षित करते हुये अवशेष जी0एस0टी0 रू0 210.79 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	जी०एस०टी० सहित कार्य की कुल पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध के आधार लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पालीटेक्निक कहेनियां पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य	1792.56 नियमानुसार देय जी०एस०टी०	2003.35	1529.27	-210.79	1792.56	210.79

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च 2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 एवं दिनांक 14 मई, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।
8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,10,79,000/- लाख (रुपये दो करोड़ दस लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2026/328(I)/35-4-2026/35-4099/24/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग / नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, प्रतापगढ़ मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
13. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-10, सी0, एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।